दिनांक: 29-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी 01 कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के निकट प्रर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/23 धारा 392/411/427 भादवि0 में **1.सिकन्दर खान पुत्र रोशन खान निवासी बाबादीप सिंह नगर गली नं0 10/2 थाना वर्धमान जिला भटींडा पंजाब, 2. मनप्रीत सिंह पुत्र छेदा सिंह निवासी सुर्खपीर रोड गली नं0 88 थाना कैनाल जिला भटींडा पंजाब, 3.सुखचैन कुमार अरौडा पुत्र मदनलाल निवासी मौहल्ला कुलार नगर निकट शर्मा डेयरी थाना फोकल प्वाइंट जिला मौगा पंजाब** को दिनांक 28.05.2023 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 20.05.2023 को वादी श्री राजीव राणा की **दुकान RR Motors पर** आकर गाडी खरीदने की बातचीत की गयी तथा दुकान पर खडी गाड़ी आई-20 नं0 UP15BN0799 को खरीदने की बात कहकर ट्रायल लेने के लिए कहा गया, अभियुक्तगण ट्रायल लेने के लिए गाडी को दुकान के कर्मचारी के साथ देहरादून रोड पर गये तथा नौगजा पीर के पास गाडी में बैठे कर्मचारी के साथ मारपीट कर गाडी छीनकर भाग गये थे। अभियुक्तगण को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि दिनांक 20.05.23 को देहरादुन चौक पर एक दुकान आर0आर0 मोटर्स पी0डब्लू0डी0 के सामने हम तीनो व्यक्ति गाडी देखकर लूटने आये थे। तो हमे वहां दुकान पर एक लडका मिला था। उसने हमे एक आई-20 गाडी, जिसका रजि0 नं0 UP15BN0799 था, जिसको हमने कहा की यह गाडी हमे पसन्द है इसकी ट्राई लेकर ही हम खरीदेंगे और तुम हमारे साथ चलो तो दुकान वाला वो लडका हमारे साथ उसी गाडी मे बैठ गया। गाडी आई-20 रजि0 नं0 UP15BN0799 को मैने चलायी तथा मनप्रीत व सुखचैन व दुकान वाला मेरे साथ ही बैठ गये थे। फिर हमने देहरादुन रोड पर सहारनपुर शहर से दूर करीब 07-08 किमी दुकान वाले लडके को बांध कर सडक के किनारे कार से नीचे गिराकर हम तीनो इस कार को लेकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.सिकन्दर खान पुत्र रोशन खान निवासी बाबादीप सिंह नगर गली नं0 10/2 थाना वर्धमान जिला भटींडा पंजाब उम्र करीब 32 वर्ष

2. मनप्रीत सिंह पुत्र छेदा सिंह निवासी सुर्खपीर रोड गली नं0 88 थाना कैनाल जिला भटींडा पंजाब उम्र 30 वर्ष

3. सुखचैन कुमार अरौडा पुत्र मदनलाल निवासी मौहल्ला कुलार नगर निकट शर्मा डेयरी थाना फोकल प्वाइंट जिला मौगा पंजाब उम्र करीब 32 वर्ष

सिकन्दर खान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 193/17 धारा 61 Ex Act नाथना भटिंडा

2. मु0अ0स0 46/19 धारा 61 Ex Act केनल कालोनी भटिंडा

3. मु0अ0स0 95/22 धारा 380/457/473/411/34 भादवि थाना नाहानवाला भटिंडा

<u>मनप्रीत सिंह का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं 123/17 धारा 307/506/148/149 भादवि थाना केनाल कलौनी भटिंडा
2. मु0अ0स0 53/17 धारा 329/379बी/148/149 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना कैन्ट भटिंडा
3. मु0अ0स0 149/17 धारा 457/380/383/34 भादवि कोतवाली भटिंडा
4. मु0अ0स0 158/17 धारा 399/402/411 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट कोतवाली भटिंडा
5. मु0अ0स0 255/18 धारा 341/506 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट थाना केनाल कालोनी भटिंडा
6. मु0अ0स0 58/19 धारा 21 एन.डीपीएस एक्ट केनाल कालोनी भटिंडा
7. मु0अ0स0 226/19 धारा 376डी/506/384/120बी भादवि केनाल कालोनी भटिंडा
8. मु0अस0 08/22 धारा 379बी भादवि थाना संगत भटिंडा
9. मु0अ0स0 43/22 धारा 399/402 व 25 आर्म्स एक्ट थाना नाहानवाला भटिंडा
10. मु0अ0स0 43/23 धारा 454/380 भादवि केनाल कालोनी भटिंडा

<u>बरामदगी:-</u>

01 कार आई-20 UP15BN0799 (लूटी गयी)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-</u>

- व0उप निरी0 मनोज कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- उप निरी0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 221 संजीव , थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 82 संजीव, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 354 संजीव, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 113 विकास, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 667 बिशम्बर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 993 गौरव, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 199 प्रवीण, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- का0 1887 अंकित, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबन्द द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

अवगत कराना है कि दिनांक 28/09/2017 को वादी श्री सुखपाल सिंह पुत्र जंगा निवासी शेरपुर खादर थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर ने थाना देवबन्द पर लिखित सूचना दी कि अभियुक्त **सुनील पुत्र राजेन्द्र निवासी बाबूपुर नगली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी की पुत्री (अपनी पत्नी) ममता की गला घोटकर हत्या कर दी है। जिसके संबंध में थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 60/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना/पैरोकार द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द द्वारा आज दिनांक 29.05.2023 को अभियुक्त **सुनील** उपरोक्त को मु0अ0स0 927/2017 धारा 302 भादवि0 में दोषी पाते हुए **सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

अभियुक्त को सजा दिलवाने में ADGC श्री देवी दयाल शर्मा - 9837551018, विवेचक वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार एवं पैरोकार है0का0 विपुल कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।